



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2003/फाल्गुन 13, 1924

No. 219]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2003/PHALGUNA 13, 1924

संस्कृति विभाग

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2003

का.आ. 256(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसके साथ उपाबद्ध स्थल, मानचित्र और अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक महत्व का है;


अब, इसलिए, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने इरादे का इसके द्वारा नोटिस देती है;

उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कोई आपत्ति राजकीय राजपत्र में इस अधिसूचना को जारी किए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन स्मारक में रुचि लेने वाले किन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जा सकती है जिस पर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली-110011 द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थान	स्मारक का नाम	राजस्व भूखंड	क्षेत्र हेक्टेयर में	स्वामित्व	सीमा
मध्य प्रदेश	शिवपुरी	शिवपुरी	राजस्व मौजा छावनी आर. 1 मंडल, शिवपुरी (अस्पताल मार्ग) नगरपालिका परिसर	टाउन हाल बनाम गांधी भवन	227	1.578	नगरपालिका शिवपुरी	उ. : सर्वेक्षण सं. 226 द. : सर्वेक्षण सं. 228 (रोड) पू. : सर्वेक्षण सं. 231, 232, 225 व 226 प. : सर्वेक्षण सं. 181

टाउन हॉल का स्थल मानचित्र
शिवपुरी, जिला शिवपुरी (मध्य प्रदेश)



संरक्षण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र : ————

[फा. सं. 2-31/2002-स्मा.]
गौरी चटर्जी, महानिदेशक एवं अपर सचिव

प्रकाशन - 4 मार्च 2003

DEPARTMENT OF CULTURE
(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2003

S.O. 256(E).—Whereas the Central Government is of opinion that the ancient monument specified in the Site Plan and the Schedule annexed hereto is of national importance;


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958), the Central Government hereby gives notice of its intention to declare the said ancient monument to be of national importance;

Any objection to the declaration of the said ancient monument to be of national importance, may be made within a period of two months from the date of issue of this notification in the Official Gazette, by any persons interested in the said ancient monument, which will be taken into consideration by the Director General, Archaeological Survey of India, New Delhi-110011.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of Monuments	Revenue Plot No.	Area in Hectare	Ownership	Boundaries
Madhya Pradesh	Shivpuri	Shivpuri	Revenue Mauza Chhaoni R. 1 Circle Shivpuri Tehsil Shivpuri (Hospital Road) Nagarpalika Campus	Town Hall alias Gandhi Bhavan	227	1.578	Nagar Palika Shivpuri	N. Survey No. 226 S. Survey No. 228 (Road) E. Survey No. 231, 232, 225 and 226 W. Survey No. 181 (Road)

SITE PLAN OF
THE TOWN HALL AT SHIVPURI
DISTT. SHIVPURI (MADHYA PRADESH)



AREA PROPOSED FOR PROTECTION : -----

[F.No.2-31/2002-M]

GAUR) CHATTERJI, Director General & Addl. Secy.